न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सख्याः– 198/2019

दयाशंकर आदि बनाम विनोद कुमार

आदेश–पत्र

03.10.2019

आज दावा वादी प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या अवलोकित। अतः मूलवाद दर्ज रजिस्टर हो। समन प्रतिवादीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 30.10.2019 को वास्ते जवाव दावा एवं दिनांक 07.11.2019 को वास्ते तनकीह पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

03.10.2019

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग–2 मय शपथपत्र 7ग–2 पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादीगण ने प्रार्थना–पत्र 6ग–2 के माध्यम से प्रार्थना किया गया है कि प्रार्थीगण की विवादित आराजी स्थित मौजा काशीरामपुर की इन्तखाब खतौनी वर्ष 1421 से 1426 फ0 की खाता सं0 124 की गाटा सं0 843 रकवा 0.049 हे0 में खड़ी फसल तिली को जबरन जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर नष्ट न करें।

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वादीगण की ओर से सूची 10ग–1 के माध्यम से 01 ता 3 अभिलेख प्रस्तुत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी कागज सं0 11ग1 के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमि धर के रूप में गाटा सं0 843 रकवा 0.0490 हे0 पर दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि गाटा सं0 843 रकवा 0.0490 हे0 पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करे न ही वादीगण की तिली की फसल को नष्ट करे। वादीगण आदेश 39 नियत 3 सी0पी0सी0 की पैरवी अविलम्ब करें। प्रतिवादीगण पर उभय प्रकार से नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते 6ग–2 दिनांक 30.10.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन

03.10.2019

8ग–2 अमीन नियुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र सुना। न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पैरवी अविलम्ब हो। वाद पैरवी अमीन को 8ग–2 के प्रकाश में नियमानुसार परवाना जारी किया जाये। अमीन को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षो को सूचित करने के उपरान्त मौके की आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी
जनपद जालौन